

प्रष्ठक

च०पी० विक
दिशेष संचित
३०२० शासन।

संचार में

निर्देशण,

राज्य नगरीय विकास अंतर्काल,
उत्तरा, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:- शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना
(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4831/166/10/छ./विविध/आसरा/तकनीकी (गोरखपुर-महेसरा-312) दिनांक 25 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-गोरखपुर की निकाय-गोरखपुर (महेसरा) की 127 आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹ 605.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹ 302.82 लाख (सूपर्ये तीन करोड़ दो लाख बयासी हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | जनपद/ निकाय का नाम | कुल आवासों की संख्या। | अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत। | सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या। | सामान्य वर्ग के लाभार्थियों अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत। | प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज चार्ज एवं लेवर सेस सहित)। |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गोरखपुर/ गोरखपुर (महेसरा) | 312 | 1487.83 | 127 | 605.64 | 302.82 |
| योग | | | | 127 | 605.64 | 302.82 |

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्याकृतीय क्लियरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


प्रभागीय/प्रारम्भ, घो.

-2/-

निर्देश

4. उक्त शर्तों के अन्तर्गत इसका द्वारा याज्य समीक्षा सम्बन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा। उक्त शर्तों के अन्तर्गत इसका द्वारा याज्य समीक्षा सम्बन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा। यह शर्तों के अन्तर्गत प्रत्येक उक्त शर्तों के अन्तर्गत इसका द्वारा याज्य समीक्षा सम्बन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा।
5. उक्त धनराशि निस कार्य/भूट में स्वीकृत की जा रही है उक्त व्यक्ति प्रत्येक दश में उक्त कार्य/भूट की किया जायेगा। सूड़ा/इंडियन एवं भारतीय जैसी कार्यवाची व्यवस्था अनुसार किया जायेगा। उक्त कार्य/भूट की किया जायेगी। उक्त कार्य/भूट की किया जायेगी।
6. सूड़ा/इंडिया द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत निये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बंधित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिवर्तन के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावणि/पुनरावृति न हो इसे सूड़ा/इंडिया द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/इंडिग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूड़ा/इंडिया द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि दैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित इंडिया द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्दर्शों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इंडिया/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो जाएगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, लिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर दैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी०एल००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्वोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।


4. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में दधि लक्ष्मण अवश्य करा लिये जाय। योजनावत् रकम विकल्प हो रहा है जिसमें उपराशि को 75 परिवर्तित धनराशि के बद्दल न छोड़ने के परिवर्तन स्थान के सापेक्ष क्षमितिक प्रमाण/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के प्रबंधत उपयोगिता प्रभावात्मक शास्त्र से सहाय रहे उपलब्ध कराया जायेगा। सहायता योजना की उद्दीप्ति/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपराशि धनराशि बढ़ि कोई होते हैं, तो एकमुक्त शास्त्र को वापस करनी होती।
15. निदेशक/सचिव राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0य०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के भाय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनाभत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-घृहद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-ई-8-1811/दस-2015 दिनांक 23 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-ठ91/2015/708(1)/69-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।